2

उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025

(उत्ताराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष, 2025)

उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या: 9, वर्ष 2005) का निरसन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम	1.	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) अधिनियम, 2025 है।
निरसन	2.	उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या: 9, वर्ष 2005) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
व्यावृत्तियां	3.	इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या: 9, वर्ष 2005) के निरसन से,– (क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होंगी, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो; (ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे; (ग) कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रकिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति, इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी कमशः

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा, या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा; (घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे; (ङ) लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जांच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई प्रभावित नहीं होंगी और ऐसी लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्रवाई की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उपरोक्त अधिनियमिति, इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हो।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

4

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025" के माध्यम से "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005" को निरसित किये जाने का प्रस्ताव है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय अधिष्ठानों में धनराशि अथवा बहुमूल्य वस्तुओं के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005" अधिनियमित/लागू किया गया है। उक्त अधिनियम में वित्तीय अधिष्ठानों अथवा निक्षेप लेने वाले से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जिसमें फर्म अथवा कम्पनी सम्मिलित है जो किसी योजना या व्यवस्था के अधीन या किसी अन्य रीति से निक्षेप स्वीकार करते हैं किन्तु इसमें बैंकिंग विनियमितीकरण अधिनियम, 1949 (वर्ष 1949 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में परिभाषित कोई निगम या किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कोई सहकारी समिति या बैंकिंग कम्पनी सम्मिलित नहीं है।

2– वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कारोबार के सामान्य अनुक्रम में लिये गए निक्षेपों से भिन्न अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिये एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निक्षेपकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिये तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम 2019 अधिनियमित/लागू किया गया है। उक्त अधिनियम में वित्तीय अधिष्ठानों अथवा निक्षेप लेने वाले से तात्पर्य कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, कोई स्वत्वधारी समुत्थान, कोई भागीदारी फर्म (चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं), सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई संगम, कोई न्यास (जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के उपबन्धों के अधीन शासित कोई निजी न्यास है या कोई सार्वजनिक न्यास है, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) कोई सहकारी सोसाइटी या कोई बहुराज्यिक सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य ठहराव, किसी भी प्रकृति का हो, से है जिसमें संसद या किसी राज्य विधानमण्डल के किसी अधिनियम के अधीन निगमित कोई निगम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी, कोई तत्स्थानी नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोई समनुषंगी बैंक, कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या कोई बहुराज्यिक सहकारी बैंक सम्मिलित नहीं है।

3– चूंकि भारत सरकार द्वारा अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबन्दी तथा उनके जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये व्यापक प्रभावयुक्त अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम 2019 अधिनियमित/लागू किया जा चुका है जो कि राष्ट्रव्यापी विस्तारयुक्त होने के कारण उत्तराखण्ड के अन्तर्गत भी प्रभावी है और यह भी कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 के प्रावधान/व्यवस्थायें उक्त केन्द्रीय अधिनियम में समाहित हैं।

4– अतएव उक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 को निरसित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025 को लाया जाना प्रस्तावित है।

5– प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025" के माध्यम से "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005" को निरसित किये जाने का प्रस्ताव है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विधेयक के खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक, 2025" के माध्यम से "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005" को निरसित किये जाने का प्रस्ताव है।

2— विधेयक के खण्ड–1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम के सम्बन्ध में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।

3— विधेयक के खण्ड–2 में "उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005" के निरसन की व्यवस्था प्रस्तावित है।

4— विधेयक के खण्ड–3 में व्यावृत्ति की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

The Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) (Repeal) Bill, 2025
(Uttarakhand Bill No. of 2025)

A
BILL

to repeal the Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2005 (Act no. 09 of 2005),

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) (Repeal) Act, 2025.
Repeal	2.	The Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2005 (Act no. 09 of 2005) is hereby repealed.
Savings	3.	The repeal by this Act of the Uttarakhand Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments) Act, 2005 (Act no. 09 of 2005) shall not,- a. affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; b. affect the validity, invalidity effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; c. affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment notwithstanding that the same respectively may have

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from enactment hereby repealed; d. revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force; e. affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken and or continued as if the said enactment is not repealed by this act.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Statement of Objective and Reason

The Uttarakhand Depositors Interest Protection (in Financial Institutions) Act, 2005 has been enacted/implemented by the State Government to protect the interests of depositors of money or valuables in various financial institutions. In the said Act, financial institutions or deposit takers mean any person or group of persons including a firm or company who accept deposits under any scheme or arrangement or in any other manner. But it does not include any corporation defined in clause (c) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (Act No. 10 of 1949) or any co-operative society or banking company owned or controlled by any State Government or Central Government.

2- Now Government of India had enacted/implemented The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes, other than deposits taken in the ordinary course of business, and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or included thereto. In the said Act, financial establishments or deposit takers means any person or group of persons, any proprictorship concern, any partnership firm (whether registered or not), a limited liability partnership registered under the Limited Liabilty Partnership Act 2008, a company, an association of persons, a trust (being a private trust governed under the provisions of the Indian Trusts Act, 1882 or a public trust (whether registered or not), a co-operative society or a multi-State co-operative society or any other arrangement, of whatsoever nature, receiving or soliciting deposits but does not include any corporation incorporated under any Act of Parliament or any State Legislature and any banking company, a corresponding new bank, the State Bank of India, any subsidiary bank, any regional rural bank, a co-operative bank, or any multi-state co-operative bank as defined in the Banking Regulation Act, 1949.

3- Where as, the Government of India has enacted/implemented The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 with wide impact to ban unregulated deposit schemes and to protect the interests of the depositors, which being nationwide in scope, is also applicable in the state of Uttarakhand. And also that the provisions/arrangements of the Uttarakhand Depositors Interest Protection (in Financial Institutions) Act, 2005 are included in the said Central Act.

4- Therefore, in view of the above, to repeal the Uttarakhand Depositors Interests Protection (in Financial Institutions) Act, 2005, The Uttarakhand Depositors Interests Protection (in Financial Institutions) (Repeal) Bill, 2025 is proposed to be introduced.

5- The proposed Bill fulfills the above objectives.

Prem Chand Agarwal
Minister

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड